न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः — 80/2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2023/227

1. श्रीमती संगीता कुमारी पत्नी महिपालसिंह जाट निवासी बड़ोली घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

2. श्रीमती सुशीला बाई पत्नी गौरीलाल जाति जाट निवासी बड़ोली घाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

— प्रार्थीगण

बनाम

1. विकास पिता शंकरलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :— 1— श्री घनश्याम असावा — अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :— 21.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा बडोली घाटा, पटवार हल्का पटवार हल्का बड़ोली घाटा तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2020 की खतोनी संख्या 134 के आराजी नम्बर 255 रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि में निम्न कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है ।

2. वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 के संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थी 1 का 1/36 वाँ हक हिस्सा प्रार्थी 2 का 1/36 हक हिस्सा व शेष हक व हिस्सा विपक्षी 1 व अन्य प्रतिवादीगण का निहित है। इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 व अन्य प्रतिवादीगण ने उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का आपसी विभाजन कर प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 व प्रतिवादी 2 से लगायत 9 का काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। फिर भी प्रार्थीगण महिलाएँ होने से विपक्षी 1 प्रार्थीगण के हक हिस्से से ही इंकार करने लगे। जिससे संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्से अनुसार बंटवाड़े की डिक्री पारित करवाया जाना आवश्यक हो जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण. यह कि संपूर्ण विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 व प्रतिवादी 2 से 9 के संयुक्त खातेदारी की होकर संयुक्त हक हिस्से में दर्ज रेकॉर्ड है। जिसका ... आराजीयात का हक व हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराया जाना आवश्यक होने ... प्रार्थना पत्र पत्र प्रार्थीगण पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:46 IST
Reason: SelfAttested

3. विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी 1 व प्रतिवादी 2 से 9 के संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण व विपक्षी 1 अपने अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। फिर भी विपक्षी 1 बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल कर विवादित कृषि आराजीयात का हस्तांतरण

करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षीगण बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया ।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे।उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा गुडाखेडा पटवार हल्का की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:46 IST
Reason: SelfAttested